महत्वपूर्ण एवं खास

पचपेढ़ी के पंचायत सचिव सुदर्शन पटेल निलंबित

रायगढ़। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ.रवि मित्तल ने जनपद पंचायत सारंगढ़ ग्राम पंचायत पचपेढ़ी के पंचायत सचिव सुदर्शन पटेल को पचपेढ़ी में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण पूर्ण किये बगैर 4 लाख 20 हजार रुपये का दुरूपयोग किये जाने तथा उच्चाधिकारियों के आदेश/निर्देशों की अवहेलना करने एवं अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत सारंगढ़ निर्धारित किया है।

तीन लोगों की असामायिक मृत्यु पर वारिसानों को सहायता राशि स्वीकृत

रायगढ़ । अनुविभाग खरसिया अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से तीन लोगों की असामायिक मृत्यु होने पर कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात एसडीएम खरसिया द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधान के तहत मृतक के नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील खरसिया के ग्राम-बाम्हनपाली निवासी शिवप्रसाद की 17 अगस्त 2020 को सर्पदंश के कारण मृत्यु होने पर उनकी माता श्रीमती नोहर बाई को 4 लाख रुपये, ग्राम-बरभौना के कनकमति की 28 दिसम्बर 2020 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पति सुकुलराम चौहान को 4 लाख रुपये तथा ग्राम-तेलीकोट के लता यादव की 25 मार्च 2019 को आग में जलने से मृत्यु होने पर उनके पति संजय यादव को 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा पदों के लिये साक्षात्कार 10 एवं 11 जून को

रायगढ़। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा गत दिवस 15 विभिन्न संविदा पदों के लिये आवेदन मंगाये गये थे। प्राप्त आवेदन पत्रों में से 8 प्रकार के पदों हेतु लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा तथा साक्षात्कार उपरांत शेष पदों हेतु नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण किया जाना है। जिसमें 4 प्रकार के पदों जिसमें आयुष चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग आफिसर-एनएचएम-एनयूएचएम/स्टॉफ नर्स-एनआरसी का संशोधित सूची जारी किये जाने एवं एक प्रकार के पद सचि.सहा.एनएचएम हेतु दावा आपत्ति निराकरण उपरांत नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों को संलग्न सूची अनुसार लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा व साक्षात्कार हेतु तिथि, समय एवं स्थल में उपस्थित होने हेतु कहा गया है। नर्सिंग आफिसर (एनएचएम), स्टाफ नर्स (एनआरसी), नर्सिंग आफिसर (एनयूएचएम) तथा मेडिकल आफिसर (एमओ आयुष)फिमेल (आरबीएसके) पद हेतु 10 जून 2021 को प्रातः10 बजे से नगर निगम ऑडिटोरियम परिसर, पंजरी प्लांट रायगढ़ में कौशल परीक्षा आयोजित की जायेगी। इसी तरह सचि.सहा.एनएचएम पद हेतु 11 जून 2021 को प्रातः10 बजे से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, रायगढ़ में कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार आयोजित की गई है।

चिटफंड मामले में कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, शेयर ट्रेडिंग का संचालक गिरफ्तार

» 5 साल से कार्यालय बंद कर लुक छिप रहा था संचालक

» टीआई मनीष नागर मुखबिर लगाकर लैलूंगा क्षेत्र से किये गिरफ्तार, नकदी रकम भी बरामद

रायगढ़। चिटफंड मामले में फरार कंपनी के संचालक को गिरफ्तार करने में कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, आरोपी संचालक निवेशकों के लाखों रुपए खाकर पिछले 5 साल से स्थानीय कार्यालय बंद कर फरार था। जानकारी के मुताबिक जिला जांजगीर चांपा निवासी चंद्रकुमार चौहान एवं मिट्ठूमुडा रायगढ़ निवासी अशोक जोशी द्वारा वर्ष 2015-16 में सुभाष नगर रायगढ़ फ्लैट नंबर 37 में उत्थान सिक्योरिटी एसएमसी ग्लोबल कंपनी के नाम से शेयर ट्रेडिंग कार्यालय खोला गया था। दोनों कार्यालय में दुष्यंत कुमार सहिस को ऑफिस मैनेजमेंट, द्वारका पटेल को एजेंट व गीता साव, सपना साहू को आफिस कार्य के लिये रखे थे। कम्पनी में चंद्र कुमार चौहान एवं अशोक जोशी शेयर ट्रेडिंग का कार्य करते थे, दोनों पहले अपने कर्मचारियों को कम्पनी में रकम निवेश करने को बोले जिससे वेतन एवं 5 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि देने का वादा किये, जिस पर दुष्यंत कुमार सहिस व आफिस स्टाफ कम्पनी में निवेश किये। इसके बाद संचालकों द्वारा ग्राहकों से निवेश कराने का दबाव डालने पर एजेंट द्वारा अन्य पांच लोगों से 2,40,000 रुपए जमा कराया गया। उक्त रकम को शेयर मार्केट में लगाने एवं 3 से 5प्रतिशत मासिक ब्याज देने का प्रलोभन चंद्र कुमार चौहान एवं अशोक जोशी द्वारा निवेशकों को दिया गया पर दोनों निवेशकों को रूपये लौटाने के पहले ही धोखाधड़ी कर कार्यालय को बंद कर फरार हो गए थे। प्रार्थी दुष्यंत कुमार सहिस पिता भुनेश्वर सहिस उम्र 33 वर्ष निवासी औरदा थाना पुसौर द्वारा दिनांक 11/04/2016 में थाना कोतवाली में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराया गया जिस पर अपराध क्रमांक 203/16 धारा 420,34 भादवि एवं निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6,10 के तहत आरोपी चंद्र कुमार चौहान एवं अशोक जोशी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपीगण की गिरफ्तारी के लिए कोतवाली पुलिस द्वारा लगातार इनके गृहग्राम एवं मिलने के संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी। दोनों नाम, पता बदलकर लुक छिप कर अन्यत्र रह रहे थे। कोतवाली पुलिस द्वारा उत्थान सिक्योरिटी एसएमसी ग्लोबल कंपनी के संबंध में रजिस्ट्रार कार्यालय बिलासपुर से जानकारी प्राप्त करने पर कंपनी पंजीकृत नहीं होना पाया गया। एसपी संतोष कुमार सिंह द्वारा लंबित चिटफंड मामलों की समीक्षा हेतु एडिशनल एसपी अभिषेक वर्मा को निर्देशित किया गया था, जिनके द्वारा 29 मई 2021 को कन्ट्रोल रूम में प्रभारियों की मीटिंग लेकर प्रकरणों के निकाल के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया था। कोतवाली प्रभारी मनीष नागर द्वारा फरार आरोपियों की पतासाजी के लिये स्टाफ लगाकर आरोपियों के वर्तमान मोबाइल नंबर पता कर जानकारी निकाला गया, जिस पर आरोपी चंद्र कुमार चौहान के पत्थलगांव, लैलूंगा की ओर लुक छिप कर रहने की जानकारी प्राप्त हुआ। सीएसपी अविनाश सिंह के निर्देशन पर दिनांक 02/06/2021 को कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष नागर के हमराह सहायक उपनिरीक्षक दिलीप बेहरा, प्रधान आरक्षक सुमन चौहान, आरक्षक हेम प्रकाश आरोपी पतासाजी गिरफ्तारी के लिए रवाना हुए। पुलिस टीम द्वारा जशपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र ग्राम घटगांव, थाना लैलूंगा के पास से आरोपी चंद्र कुमार चौहान को गिरफ्तार कर देर रात थाना लाया गया। आरोपी से पूछताछ करने पर अपराध स्वीकार किया है, जिससे नकदी रकम 20,000 रुपए बरामद किया गया है। आरोपी चंद्र कुमार चौहान पिता फूलचंद चौहान उम्र 32 वर्ष निवासी बोड़ासागर चौकी फगुरम थाना डभरा जिला जांजगीर-चांपा हाल मुकाम ग्राम घटगांव, थाना लैलूंगा को आज गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, उसका साथी आरोपी अशोक जोशी फरार है जिसकी संबंध में कोतवाली पुलिस द्वारा मुखबिर लगाए गए हैं।

तहसीलदार सुनील कुमार अग्रवाल निलंबित

रायगढ़ । आयुक्त बिलासपुर संभाग डॉ.संजय अलंग ने तहसीलदार सारंगढ़ सुनील कुमार अग्रवाल को सारंगढ़ तहसील के ग्राम-हिर्री में संचालित वारे क्लीनिक की जांच संबंधी कार्यवाही में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय रायगढ़ निर्धारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि तहसीलदार सारंगढ़ सुनील कुमार अग्रवाल द्वारा तहसील सारंगढ़ के ग्राम-हिर्री में डॉ.खगेश्वर प्रसाद वारे द्वारा संचालित वारे क्लीनिक की जांच संबंधी कार्यवाही में अपने पदीय कर्तव्यों/दायित्वों तथा शासकीय/विभागीय कार्यों के निर्वहन में लापरवाही, उदासीनता, स्वेच्छाचारिता बरतने तथा छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम-3के विपरीत कार्य करने के कारण कलेक्टर रायगढ़ भीम सिंह द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी प्रस्ताव प्राप्त होने पर तहसीलदार सुनील कुमार अग्रवाल को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब मांगा गया। तहसीलदार अग्रवाल द्वारा 01 जून 2021 को समक्ष में उपस्थित होकर उक्त जारी कारण बताओ सूचना पत्र का प्रतिवाद प्रस्तुत किया गया। प्रतिवाद का परीक्षण करने पर जवाब समाधानकारक नहीं पाया गया। जिसके कारण आयुक्त बिलासपुर संभाग डॉ.संजय अलंग ने तहसीलदार सारंगढ़ सुनील कुमार अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। तहसीलदार सारंगढ़ सुनील कुमार अग्रवाल को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

पंजाब नेशनल बैंक में सेंधमारी करने वाले आरोपी को सुपेला दुर्ग से गिरफ्तार

» आरोपी युवक अकेले ही घटना को दिया था अंजाम, चोरी की बाद से था फरार

» बैंक से चोरी हुये सिक्के, घटना में प्रयुक्त हथियार आरोपी से बरामद

रायगढ़। दिनांक 24-25/05/2021 के दरम्यानी रात लैलूंगा पीएनबी बैंक के पीछे दिवाल को सेंधमारी कर अज्ञात आरोपी बैंक से सिक्कों की बोरी चुरा ले गया था। घटना की जानकारी मिलने पर लैलूंगा पुलिस मौके पर पहुंच कर मौका मुआयना कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी के लिये क्षेत्र में मुखबिर लगाया था। घटना की रिपोर्ट दिनांक 25/05/2021 को शाखा प्रबंधक निर्मल कच्छप द्वारा लैलूंगा थाने में दर्ज कराया गया था, रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 141/2021 धारा 457,380 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया। बैंक में नकबजनी की घटना को गंभीरता से लेते हुये पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा एसडीओपी धरमजयगढ़ को शीघ्र आरोपी की पतासाजी हेतु निर्देशित किए। साथ ही उनके द्वारा डीएसपी अंजु कुमारी को जांच टीम को सहयोग करने लैलूंगा रवाना किया गया। विवेचना टीम को पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह, एडिशनल एसपी अभिषेक वर्मा द्वारा लगातार दिशा निर्देश दिया जा रहा था, जिनका पालन कर थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक एल.पी. पटेल द्वारा लगाए गए मुखबीरों से सम्पर्क कर अज्ञात आरोपी के संबंध में जानकारी ली जा रही थी। इसी बीच उन्हें योगेश प्रधान पिता अंजनी प्रधान 22 साल निवासी बेहरापारा लैलूंगा को बैंक के पीछे घटना दिनांक के दरमियानी रात संदिग्ध हालत में देखे जाने की सूचना मिली। संदेही की तस्दीक पर वह घटना के बाद से ही फरार था, लैलूंगा पुलिस को संदेही योगेश प्रधान पर संदेह और बढ़ा। संदेही के मोबाइल कॉल डिटेल आदि की जानकारी साइबर सेल से निकालने तथा गवाहों द्वारा दिनांक 24-25/05/2021 को बैंक के पीछे योगेश प्रधान को देखना बताये जिसके बाद आरोपी की पतासाजी, गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर डीएसपी अंजू कुमारी की अगवाई में सहायक उपनिरीक्षक जीपी बंजारे, प्रधान आरक्षक सोमेश गोस्वामी, आरक्षक जोन प्रकाश एक्का, मयाराम राठिया, महिला आरक्षक सुनीता लकरा की टीम भिलाई जवाहर नगर सुपेला रवाना हुई। जहां लगातार दो दिनों तक आरोपी के लोकेशन पर दबिश दिया गया, अन्ततः घटना का मास्टरमाइंड योगेश प्रधान पुलिस के हाथ आया जिसे हिरासत में लेकर थाना लाया गया, कड़ी पूछताछ पर आरोपी द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है और बताया कि चोरी के बाद सिक्कों को छिपाकर सुपेला चला गया था जहां रोजी मजदूरी का काम करने लगा। आरोपी योगेश प्रधान का रायगढ़ के लैलूंगा, चक्रधरनगर क्षेत्र एवं पत्थलगांव के गाला क्षेत्र के नकबजनों से मेल मिलाप हैं किन्तु आरोपी द्वारा अकेले ही घटना को अंजाम देना बताया है। आरोपी के मेमोरेंडम पर टाई रॉड, आरी पत्ती, चाकू, वायर काटने का कटर, हथौड़ा, बेधना, पान्हा, फाइलर रेती वगैरह चोरी में इस्तेमाल किए गए तीन थैले जिसमें 2500- 2500 रुपए कुल 7,500 रुपएबरामद किया गया है। आरोपी को आज दिनांक 03/06/2021 के दोपहर गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

बिहान योजना से ग्रामीण महिलाओं को मिल रहा रोजगार

रायगढ़। जनपद पंचायत पुसौर के ओड़ेकेरा कलस्टर में ग्राम पंचायत सुकुलभठली के आश्रित ग्राम दाबभठली के निश्चिय महिला स्व-सहायता समूह बिहान योजना से जुड़ कर वर्तमान में रेडी-टू-ईट बनाने का कार्य कर रही है। समूह का गठन 01 जुलाई 2005 में हुआ है और समूह में 10 महिलायें है। इन्होंने 24 दिसम्बर 2009 को रेडी-टू-ईट बनाने का कार्य प्रांरभ किया। निश्चिय महिला स्व-सहायता समूह 49 आंगनबाड़ी केन्दों में रेडी-टू-ईट का पैकेट बनाकर पहुंचाती है। बिहान योजनान्तर्गत इस समूह को 3 बार लोन दिया जा चुका है। पहली बार में लोन 2 लाख रूपये दूसरी बार 3 लाख रूपये एवं तीसरी बार 5 लाख रूपये कुल 10 लाख का लोन

प्रदाय किया जा चुका है। महिला स्व-सहायता समूह द्वारा प्रतिमाह 25 क्विंटल रेडी-टू-ईट तैयार किया जाता है जिसकी लागत लगभग 60 हजार रूपये होती है इसके जिससे इन्हें प्रतिमाह लगभग 25 हजार रूपये का आय प्राप्त होता है। जिन्हें एक वर्ष में 3 लाख रूपये का आय प्राप्त होता। इससे इन महिलाओं को रोजगार के तौर इन्हें अच्छी खासी आय प्राप्त हो रही है जिससे अन्य महिला स्व-सहायता समूह भी प्रेरित होकर आजीविका गतिविधि में जुड़ रहे है। कोरोना काल संकट के इस दौर में महिलाओं के लिए बिहान योजना वरदान साबित हो रही है।

आपत्ति निराकरण पश्चात शिक्षा विभाग के सहायक ग्रेड-3 के 15 व भृत्य के 5 पदों पर अनुकंपा नियुक्ति पदांकन आदेश जारी

रायगढ़ । छत्तीसगढ़ शासन के तृतीय श्रेणी के पदों पर 10 प्रतिशत बंधन सीमा को शिथिल करने के लिए गए निर्णय के परिपालन में शिक्षा विभाग रायगढ़ में जहां 31 मई को 65 दिवंगत कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी। वहीं कुछ कुछ आपत्ति वाले प्रकरण शेष थे, जिनका निराकरण किया जाना था। विदित हो कि वर्ष 2018 से लेकर अब तक विभाग को कुल 111 आवेदन मिले थे, जिनमें से 2 जून को आपत्ती वाले प्रकरणों के निराकरण हेतु आवेदकों को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायगढ़ बुलाया गया था। इसी तारतम्य में 2 जून बुधवार को जिला शिक्षा अधिकारी आर.पी.आदित्य ने आपत्ति वाले प्रकरणों के निराकरण पश्चात सहायक ग्रेड-3 के 15 पदों तथा भृत्य के 5 पदों पर पुनः अनुकंपा नियुक्ति पदांकन आदेश जारी किया। जहां सहायक ग्रेड-3 के ई-संवर्ग के 10 पदों पर व टी-संवर्ग के 5 पदों पर अनुकंपा नियुक्ति पदांकन आदेश जारी किया गया, वहीं आपत्ति निराकरण पश्चात चतुर्थ श्रेणी के भृत्य के टी-संवर्ग के 3 पदों पर तथा ई-संवर्ग के 2 पदों पर अनुकंपा नियुक्ति पदांकन आदेश जारी किया गया है। सहायक ग्रेड-3 के पदों पर जिन 15 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है उनमें कुमारी प्रेमलता रात्रे, हर्ष मनिंद्र श्रीवास्तव, कुमारी संतोषी राठिया, विमल कुमार, चैतन प्रसाद पटेल, अजय प्रकाश सिदार, श्रीमती दिलेश्वरी जांगड़े, ओम प्रकाश पटेल, श्रीमती यशोदा मिरी, विवेकानंद कर शर्मा, सिस्योन खाखा, भानु विजय राठिया, मुरलीधर साहू, गुलशन पटेल, कुमारी खुशबू यादव तथा जिन 5 लोगों को भृत्य पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदाय की गई उनमें श्रीमती मीना राठिया, श्रीमती फूल कुमारी राठिया, श्रीमती दुर्गा खूंटे, श्रीमती चन्द्रा कुमारी पटेल, श्रीमती सुनीता पाटले शामिल हैं। जिला शिक्षा अधिकारी आर.पी.आदित्य ने सभी को नयी पदस्थापना की शुभकामनाएं दी।

मेडिकल कॉलेज में स्थापित होने जा रहा है 12 हजार लीटर का लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट

» स्थायी ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है लक्ष्य-कलेक्टर भीम सिंह

» कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने और पाइप लाइन फिटिंग के लिए शुरू हुई तैयारी

रायगढ़। जिले में कोरोना की अगली लहर से पहले कोविड अस्पतालों में स्थायी ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर फोकस करना है। जिसके तहत जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन प्लांट और पाइप लाइन फिटिंग का काम अस्पतालों में होना है। उक्त बातें कलेक्टर भीम सिंह ने आज कोरोना प्रबंधन पर स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज में जल्द 12 हजार लीटर का लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का काम शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही एमसीएच लैलूंगा, सारंगढ़, धरमजयगढ़ व चपले में भी ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पाइप लाइन फिटिंग व मेनिफोल्ड इंस्टॉलेशन का काम भी किया जाना है। कलेक्टर सिंह ने एमसीएच हॉस्पिटल रायगढ़ को पूरे 100 बेड को ऑक्सिजनटेड करने और ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान कलेक्टर सिंह ने मेडिकल कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर में ऑक्सीजन पाइप लाइन फिटिंग का काम व इसकी टेस्टिंग अगले एक दो दिनों में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राउंड फ्लोर में एसी इंस्टालेशन का काम भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिये जिससे वहां आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाई जा सके। मेडिकल कॉलेज में एबीजीए डी डाइमर व इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट्स के लिए जरूरी आइटम्स की खरीदी कर जल्द यह टेस्ट सुविधाएं भी शुरू करने के निर्देश दिए। जिससे एक ही छत के नीचे मरीजों को इलाज और तमाम जरूरी टेस्ट्स की सुविधाएं भी मिल सकें। इस दौरान टेस्टिंग की समीक्षा भी की गयी। कलेक्टर सिंह ने सभी विकासखण्डों को उनको मिले लक्ष्यों को अनिवार्य रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। टेस्टिंग रिपोर्ट को तय समय के भीतर उपलब्ध कराने के लिए कहा।

इस दौरान एडीएम राजेन्द्र कटारा, सीईओ जिला पंचायत डॉ.रवि मित्तल, नगर निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय, सीएमएचओ डॉ.एस.एन.केशरी, जिला शिक्षा अधिकारी आर.पी.आदित्य सहित कोविड अस्पतालों के संचालक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बैठक में शामिल हुए।

❑ बच्चों के इलाज के अनुसार तैयार करें सुविधाएं- कलेक्टर सिंह ने तीसरी लहर से निपटने की तैयारी के मद्देनजर बच्चों व गर्भवती महिलाओं के लिए एमसीएच अस्पताल को जल्द तैयार करने के लिए कहा। इसके लिए नियो नेटल व पीडियाट्रिक आईसीयू के साथ अन्य जरूरी संसाधनों की व्यवस्था के निर्देश उन्होंने दिए। इसके साथ ही महात्मा गांधी नेत्र चिकित्सालय जिसे कोविड संक्रमित बच्चों की उपचार की दृष्टि से तैयार किया जा रहा है उसका काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी 20 सिलेंडर्स की व्यवस्था रखी जानी है।

❑ डोर टू डोर सर्वे कर लक्षणयुक्त व्यक्तियों की करें पहचान- बैठक में जिले की पाजिटिविटी दर और मृत्यु दर की गहन समीक्षा की गयी। उन्होंने सभी बीएमओ को उनके विकासखंड में उपलब्ध कराए गए थर्मल गन से डोर टू डोर सर्वे और लक्षणयुक्त व्यक्तियों की जांच करने के निर्देश दिए। इसमें खासकर युवाओं पर फोकस रखने के निर्देश दिए। क्योंकि पिछले दिनों कोविड से युवाओं की हुई मृत्यु की समीक्षा में यह बात निकल कर आयी है कि युवाओं द्वारा लक्षणों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। जांच और इलाज में देरी या खुद से दवा लेने से बाद में शरीर में संक्रमण का स्तर बढ़ता है। जब स्थिति एकदम गंभीर हो जाती है तब वे अस्पताल पहुंचते हैं ऐसे में संक्रमण उनके शरीर में काफी बढ़ चुका होता है जिससे उनको बचा पाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने इसके साथ ही लोगों को कोरोना के लक्षण दिखने पर तत्काल जांच कराने और इलाज लेने के लिए जागरूक करते रहने के निर्देश दिए। गैर अधिकृत चिकित्सकों द्वारा कोविड मरीजों का इलाज करने पर लगातार कार्यवाही जारी रखने के निर्देश सीएमएचओ को दिए। पाजिटिविटी दर को नियंत्रित करने के लिए जहां कोविड के मामले हैं वहां कन्टेनमेंट नियमों को सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए।

❑ होम आइसोलेटेड मरीजों से मंगाएं ऑक्सीजन रीडिंग की फोटो- बैठक के दौरान होम आइसोलेशन की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आयी की कई लोग नियमित ऑक्सीजन रीडिंग नही लेते हैं और फॉलोअप कॉल के दौरान सही ऑक्सीजन रीडिंग नही बताते हैं। जो बाद में उन्हीं के लिए खतरनाक साबित होता है। रीडिंग नही लेने से उन्हें सही ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल का पता नही होता है। जब स्थिति बिगड़ती है और वे अस्पताल पहुंचते हैं तो मरीज का ऑक्सीजन लेवल बहुत गिर चुका होता है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480